राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्रं. : /2014

प्रस्तुति दिनांक : 12/05/2014

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल (ग्वालियर), वृत्त इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष

R-1593-PBR-14

मलामसिंह पिता जामसिंह भीलाला
निवासी : ग्राम नरवाली, तह. कुक्षी,
जिला धार (म.प्र.)

-- पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1. सज्जनसिंह पिता जामसिंह भीलाला
2. करमसिंह पिता जामसिंह भीलाला
3. अंतरसिंह पिता जामसिंह भीलाला
4. जामसिंह पिता नाहला भीलाला

सभी निवासी : ग्राम नरवाली, तह. कुक्षी,
जिला धार (म.प्र.)

-- प्रतिप्रार्थीगण

प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 12/05/2014 को प्रस्तुत

पुनरीक्षण आवेदन धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता, 1959 के तहत

श्रीमान तहसीलदार महोदय, कुक्षी के न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी में पारित आदेश दिनांक 07-05-2001 से असंतुष्ट होकर प्रतिप्रार्थीगण द्वारा एक अपील न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महोदय, कुक्षी, डही क्षेत्र के समक्ष प्रस्तुत की गई जो राजस्व अपील क्रमांक 15/2011-12 अपील पर दर्ज होकर उक्त अपील के आदेश दिनांक 30-08-2013 से असंतुष्ट होकर अपीलार्थीगण द्वारा द्वितीय अपील माननीय अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। उक्त द्वितीय अपील आदेश दिनांक 11-03-2014 को निरस्त की गई, जिससे असंतुष्ट होकर निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरनी नियत अवधि एवं न्यायशुल्क पर निम्नलिखित कारणों से प्रस्तुत है :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग 1593–पीबीआर/14 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–11–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 11–3–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के नामांतरण आदेश दिनांक 7–5–2001 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील 12–7–2012 को लगभग 11 वर्ष से भी अधिक विलंब से प्रस्तुत की गई है और विलंब क्षमा हेतु प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलंब का कारण दर्शाया गया है कि आवेदक द्वारा पटवारी से नामांतरण पंजी की नकल मांगी जाती रही और पटवारी द्वारा आदेश की प्रति नहीं दी गई, इसलिये अपील प्रस्तुत करने में विलंब हुआ है । इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये है कि पटवारी से नामांतरण पंजी की नकल मांगे जाने और पटवारी द्वारा नहीं दिया जाना विलंब का समाधानकारक कारण नहीं है, क्योंकि यदि पटवारी द्वारा नकल नहीं दी जा रही थी तब आवेदक को वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करना थी। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये	

समवर्ती निष्कर्षों में प्रथम दृष्टया हस्तक्षेप का आधार नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष